न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 25/23 तारीख रज्जू– 12/09/23

1. विजेन्द्र पुत्र किशन्या जाति बैरवा उम्र 26 साल निवासी रामगढ़ मुराडा उप तहसील तलावड़ा जिला सवाई माधोपुर । –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावड़ा । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 30/04/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार तलावड़ा द्वारा मिसल संख्या 10/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम रामगढ़ मुराडा के आराजी ख0नं0 2 रकबा 0.30है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के तथा सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। उक्त वाद आराजीयात भूमि दिनांक 07/11/75 को अपीलार्थी के पिता किशन्या पुत्र अमरचंद को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि की किस्म आवंटन के समय बारानी थी। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में उक्त भूमि की किस्म चरागाह दर्ज की हुई है। जबकि वर्तमान जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि चरागाह नहीं है। उक्त आंवटित भूमि का आवंटन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय की अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 30.01.2017 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

30/4/24

गंगापुर सिटी (...)

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया है कि उक्त भूमि की किस्म बारानी है। लिपिकिय त्रुटि के कारण निर्णय में सहवन से उक्त भूमि की किस्म चरागाह अंकित हो गई है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिकमण किया हुआ है। यदि अपीलार्थी की सजा माफ की जाती है तो अतिकमियों को अतिकमण करने में बढावा मिलेगा ,साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वप्रथम यह पाया गया कि अदालत मातहत द्वारा जरिये नोटिस दिनांक 11/01/2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया था। जिसमें अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत मे उपस्थित हुआ, साथ ही पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त आंवटित भूमि का आवंटन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा उक्त भूमि की किस्म वर्तमान में बारानी (राजकीय भूमि) दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा वाद–आराजीयात के संबध में वर्तमान में अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होना बताया हैं। लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के संबंध में ना तो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की वर्तमान आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की है ना ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में बारानी (राजकीय भूमि) दर्ज है तथा पत्रावली के अवलोकन से अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हि निर्णय पारित करना पाया गया है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि से अतिकमण हटा लिया गया हो। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा मिसल सं0 10/17 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2024.....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी